

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर
क्रमांक मुख्य/एनएचएम./आशा/चयन 2022/338

दिनांक: 7 / 7 / 2022

विज्ञप्ति संख्या 01/2023

अलवर जिले के निम्नलिखित ब्लॉक में आशा सहयोगिनी के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त (34) पदों हेतु संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।


ब्लॉकवार रिक्त पदों हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम :-

क्र०सं	खण्ड कार्यालय नाम	आशा पद हेतु रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का नाम
0		
1	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -बानसूर	नाथूसर, चतरपुरा-द्वितीय, आलनपुर, बाबरीया, सांथलपुर, कुल (05पद)
2	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -बहरोड	बहरोड वार्ड न0 -07आं0बा021, कुल (01पद)
3	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -खेडली	रिंगसपुरा, खेडली वार्ड -9, साँखर-5, निठारी, काकरोली, कुल (05 पद)
4	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -किशनगढ़बास	पिलाथला, सेंटर का बास, बेडा का बास, खानपुर-3, कारौली-5 (नवेला का बास), चामरोदा, कुल (06पद)
5	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -कोटकासिम	इकरोटिया कुल (01पद)
6	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -लक्ष्मणगढ़	सजनपुरी, बड़ेडी, रामबास -4, कुल (03पद)
7	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -मालाखेडा	कलसाडा -2, रामनगर, सुमेल-2, कुल (03पद)
8	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -मुण्डावर	शहजादपुर-द्वितीय, पलावा कुल (02पद)
9	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -राजगढ़	पीलपारा ढाणी, उपरला गुवाडा, कुल (02पद)
10	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -रामगढ़	गोलकी, कुल (01पद)
11	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -रैणी	माचाडी-2, पिनान-4 कुल (02पद)
12	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी -तिजारा	दमदमा, बन्दापुर, खलीलपुरी-1 कुल (03पद)

आशा चयन हेतु वांछित पात्रता निम्नानुसार है-

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला का जिस आंगनवाड़ी केन्द्र पर चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की निवासी होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला व तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जावेगा।
- आशा सहयोगिनी पद हेतु आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उर्तीण होना आवश्यक है। आवेदक महिला का विवाहित होना अनिवार्य है।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित-प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीडित, पेशीय दुष्पोषण के प्रकरण) में अधिकतम 45 वर्ष तक होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचायल होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है।
- विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व आवेदन में पुनर्विवाह नही करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।

- 6 तलाकशुदा एवं परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय /उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश / डिक्री की छाप्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा अंकन आवश्यक होगा।
 - 7 विशेषयोग्यजन होने का प्रमाणपत्र सक्षम स्तरीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया हॉन्ग चाहिए।
 - 8 आशा सहयोगिनी के पद चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र निदेशालय के परिपत्र संख्या 186 दिनांक 13.07.2022 के परिशिष्ट " ब " के अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
 - 9 जिन केन्द्रो/ग्राम पंचायत कि कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक अजा/जजा/अल्प संख्यक वर्ग का है उन केन्द्रो चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनवाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जावेगी।
 - 10 समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी-लेयर के जारी प्रमाणा पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - 11 आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र सैकण्डरी की अंकतालिका /प्रमाण पत्र बीएड /एनटीटी/डीपीएसई डिप्लोमा यदि लागू हो तो मतदाता पहचान पत्र /राशन कार्ड/जनआधार कार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/ मूल निवास प्रमाण पत्र विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति / जनजाति /पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आशा के रूप 1 वर्ष कार्यानुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो बीपीएल कार्ड केन्द्र सुचीअनुसार /अन्त्योदय/राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र यदि लागू हो तो एएनएम /जीएएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो विधवा /परित्यक्ता /तलाकशुदा का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो इत्यादि दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः सलंगन कि जावे।
 - 12 आशा राज्य कर्मचारी न होकर मानदेय एवं प्रेरक प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने वाली सेवाकर्मी है इनके द्वारा ग्राम पंचायत/आंगनवाडी केन्द्रो पर दी जा रही है सेवाओ के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार इन्हे मानदेय एवं प्रेरक प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा। ये पूर्णतः अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है। इस बाबत चयन आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
 - 13 आवेदन फार्म संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में व्यक्तिशः /रजिस्टर्ड डाक द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से दिनांक .05.08.2023. तक जमा किये जायेगे ।
 - 14 सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।
 - 15 विज्ञप्ति के संबंध में आंगनवाडी केन्द्रवार /ग्राम पंचायतवार/वार्डवार रिक्त पदों तथा पात्रता आदि संबंधी विस्तृत जानकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता /सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट alwar.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
 - 16 शेष शर्तें व नियम निदेशालय चिकित्सा स्वा0 एवं प.क. के परिपत्र 186 दिनांक 13.07.2022 एवं समय समय पर जारी निर्देश व परिपत्रों के अनुरूप लागू होंगे।
- नोट:- उपरोक्तानुसार आशा रिक्त पदों की विज्ञप्ति संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाशित की जा रही है।


 (डॉ श्रीराम शर्मा)
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 अलवर